1	2	3	4	5
4.	Haryana	..		5·03
5.	Himachal Pradesh .	12·85	30·00	59·99
6.	Jammu & Kashmir	115·53		27·00
7.	Karnataka .	78.41	40·00	200.75
8.	Kerala .	152·00	259·52	130·05
9.	Madhya Pradesh		293·20	100·00
10.	Maharashtra	74·00	72·00	81·00
11.	Manipur .	40·00	30·00	77·00
12.	Nagaland	55·69	2·41	38·00
13.	Rajasthan .		105·00	59·15
14.	Sikkim	..		75·00
15.	Tamil Nadu	44·18		9·52
16.	Uttar Pradesh	16·28	8·50	..
17.	West Bengal	15·00	20·00	120·49
18.	Goa		10·00	..
19.	D.V.C. .	241·95	360·00	108·66
	TOTAL	889·56	1298·00	1256·11

गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द होना

5718. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में गुजरात में कुछ कपड़ा मिल बन्द हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब-कब और एसे मिलों की संख्या कितनी है ;

(ग) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(घ) उन मिलों को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ; और

(ङ) अब तक कौन कौन से मिल पुन: चालू हो गए हैं और शेष किन कारणों से पुन: न चलाये जा सके हैं और उनके कब तक पुन: चालू होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा मुखर्जी) : (क) से (ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान गुजरात में बन्द हुई कपड़ा मिलों की संख्या समय-समय पर भिन्न-भिन्न रही है। किन्तु फिलहाल गुजरात में निम्नलिखित यह कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं :—

क्र सं०	मिल का नाम	बन्द होने की तिथि	बन्द होने का कारण
1.	फाइन निटिंगकमानी लि०, अहमदाबाद	10-7-70	यह मिल रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत आती है किन्तु मालिकों ने सरकारी अधिग्रहण के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस दौरान जबकि कताई विभाग बन्द पड़ा हुआ है। होजरी विभाग भूतपूर्व मालिकों की देखरेख में गुजरात उच्च न्यायालय की बिगरी (निर्णय) के अधीन कार्य कर रहा है। उच्चतम न्यायालय में मामला निर्णयाधीन है।
2.	श्री भगवती स्पिनिंग एण्ड वीविंग वर्क्स, खानवलिया	22-10-75	चक्रवात के कारण मिल की हुई क्षति कारण।
3.	श्री माण्डवी स्पिनिंग मिल्स लि०, कच्छमाण्डवी	15-11-77	वित्तीय कठिनाइयां
4.	नवज्योति मिल्स लि०, कारी	25-1-77	—वही—
5.	अहमदाबाद लक्ष्मी काटन मिल्स, अहमदाबाद	12-8-77	—वही—
6.	दी मानेक चौक एण्ड अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०, अहमदाबाद	14-12-76	—वही—

2. चूंकि राष्ट्रीय वस्त्र निगम पहले से ही 105 सूती कपड़ा मिलों के प्रबन्ध का गुरुतर दायित्व सम्भाल रहा है अतः सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा प्रबन्ध किए जाने के लिए और अधिक रुग्ण अथवा बन्द मिलों का अधिग्रहण करने के पक्ष में नहीं है। राज्य सरकारों एवं संबंधित बैंकों के साथ परामर्श करके बन्द पड़े हुए बुनियादी दृष्टि से जीव्य मिलों को पुनः चलाने के लिए चयनात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। यदि राज्य सरकारें बन्द अथवा रुग्ण मिलों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिए जीव्य प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, तब केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक तथा कानूनी सहायता देगी। गुजरात सरकार के अनुरोध पर अहमदाबाद लक्ष्मी काटन मिल्स के कार्यों की जांच करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत एक जांच समिति पहले ही नियुक्त की जा चुकी है। जांच समिति की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।